कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

::कार्यालय आदेश::

माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जोधपुर में दायर अपील संख्या 14/2019 (अन्तर्गत अपील संख्या 666/2019) राजीव तिवारी बनाम राजस्थान राज्य व अन्य प्रकरण में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2020 द्वारा अपीलार्थी को अपनी व्यक्तिगत व पारिवारिक परिस्थितियों के दृष्टिगत अपने पदस्थापन के सम्बन्ध मे सक्षम अधिकारी के समक्ष पुनः अभ्यावेदन प्रस्तुत करने और अभ्यावेदन प्राप्त होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा उसका विभागीय नियमों/परिपत्रों/आदेशों के अवलोक में निस्तारण कर उक्त निस्तारण की सम्यक सूचना अपीलार्थी को प्रदान किये जाने सम्बन्धी आदेश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा पुनः प्रस्तुत अभ्यावेदन में अपने पिता के कैंसर रोग से पीडित होने, स्थानान्तरित स्थान के अत्यधिक दूर होने एवं अपनी विकट पारिवारिक परिस्थितियों के मद्देनजर अपना पदस्थापन अलवर जिले में किये जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का विभागीय नियमों/परिपत्रों/दिशा-निर्देशों के आलोक में परीक्षण किया गया और उनकी मांग पर विचार किया गया। राज्य सरकार द्वारा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में पूर्व के दिशा-निर्देशों के अधिक्रमण (SUPERSESSION) में जारी नवीन दिशा-निर्देश दिनांक 24.09.2019 में राज्य सेवा के कार्मिकों में पूर्णतः दृष्टिहीन, 70 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग, कैंसर, गुर्दा प्रत्यारोपण, हृदय शल्य चिकित्सा, विधवा, परित्यक्ता एवं शहीद की वीरांगना से प्राप्त आवेदनों को स्थानान्तरण में प्राथमिकता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया था। अपीलार्थी द्वारा अपने पिता की बीमारी के आधार पर अनुतोष की मांग की गई है जो कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं है।

जहां तक अपीलार्थी को अत्यधिक दूर पदस्थापित किये जाने का प्रश्न है, तो इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा भगवान दास मित्तल एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य डब्ल्यू.एल.सी. 2007(2) 276 में प्रतिपादित किया गया है कि एक स्थान से किसी दूरस्थ स्थान पर किये गए स्थानान्तरण से किसी कार्मिक के सेवा नियमों एवं विधिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं होता। यह पूर्णतः नियोक्ता के अधिकार क्षेत्र में है कि वह अपने अधीन राज्य सेवा के कार्मिक को कब व कहां पदस्थापित करे। उक्तानुसार अपीलार्थी श्री राजीव तिवारी, प्रधानाचार्य राउमावि नारानावास जिला जालौर द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को खारिज किया जाकर पुनर्निस्तारित किया जाता है। सम्बन्धित सूचित हो।

(सौरभ स्वामी)
आई ए एस
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः-शिविरा-मा./संस्था/बी-2/राजीव तिवारी/अपील/14/412/2019 दिनांकः 06.03.2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मन्त्री, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, जयपुर/जोधपुर संभाग, जयपुर/जोधपुर।
4. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, अलवर/जालौर।
5. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा, अलवर/जालौर।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (विधि) माध्यमिक शिक्षा, अलवर/जालौर।
7. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
8. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
9. श्री राजीव तिवारी, प्रधानाचार्य राउमावि नारानावास जिला जालौर।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक(कार्मिक)

Scanned by CamScanner